न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

दिनांक 15/9/25

क्रमांक /कोर्ट/2025/822

श्री वैभव शुक्ला
निवासी मानसरोवर, जयपुर

विषयः—अपील संख्या 65/2025 अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 उनवानी **श्री वैभव शुक्ला बनाम** लो.सू.अ. **अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर** में निर्णय की प्रति भिजवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील में **निर्णय दिनांक 04.09.2025** की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नः— निर्णय प्रति

आज्ञा से

रीडर
जिला कलक्टर,
भरतपुर

फर्द अहकाम

अज अदालत–न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर

वैभव शुक्ला बनाम लो.सू.अधि. अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर

किस्म मुकदमा अपील **RTI** नम्बर 65 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
04.09.2025	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट वैभव शुक्ला निवासी मानसरोवर, जयपुर की अपील ऑनलाईन अपील संख्या 060831280532371 से लोक सूचना अधिकारी **अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर** के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर आया प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को लिखा गया है कि " इस कार्यालय द्वारा इस तरह की सूचनाओं का संकलन नहीं किया जाता है, आवेदन रद्द किया जाता है।" अतः उक्तानुसार अवलोकन से जाहिर है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को चाही गई सूचना के संदर्भ में सूचित किया जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर	822 15/9/25